संख्या : 904/XXX(2)/2012-55(47)/2004 टी.सी.

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक : 5 सितम्बर, 2012**

विषय : राज्याधीन लोक सेवाओं में कार्मिकों को निःसंवर्गीय पद पर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा. उच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका संख्या 45(एस/बी)/2011 विनोद प्रकाश नौटियाल व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10 जुलाई, 2012 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा राज्याधीन लोक सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम. नागराज व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य में पारित निर्णय तथा संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देने हेतु अधिसूचना संख्या 903/XXX(2)/2012 दिनांक 5 सितम्बर, 2012 द्वारा मा. न्यायमूर्ति (से. नि.) श्री इरशाद हुसैन की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय आयोग गठित करते हुए आयोग से अपनी रिपोर्ट 3 माह में उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

2. शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्तानुसार गठित आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने तक की अवधि के दौरान अंतरिम रूप से निम्न निर्णय लिये गये हैं :–

(i) उक्त अंतरिम काल में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे कार्मिक जो प्रोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी दिनांक 10 जुलाई, 2012 से पूर्व की व्यवस्था के अनुसार प्रोन्नति पाते, उन्हें प्रोन्नति के प्रक्रम पर निःसंवर्गीय पद सृजित कर नियुक्त किया जायेगा। यह व्यवस्था अंतरिम रूप से केवल एक बार के लिए है। यह लाभ माह जुलाई एवं अगस्त, 2012 में सेवानिवृत्त हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे कार्मिकों को भी दिनांक 10 जुलाई, 2012 से नोशनल आधार पर अनुमन्य होगा जो 10 जुलाई, 2012 से पूर्व की व्यवस्था में पदोन्नति पाते।

(ii) आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यदि राज्य सरकार द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण हेतु कानून बनाया जाता है तो उसे पूर्वगामी रूप से दिनांक 10 जुलाई, 2012 से लागू किया जायेगा। ऐसी दशा में अंतरिम काल के दौरान निःसंवर्गीय पद सृजित करते हुए की गई नियुक्तियों को संवर्गीय ढाँचे में अतिरिक्त पद सृजित करते हुए समायोजित कर लिया जायेगा, किन्तु ऐसी कार्यवाही से अंतरिम काल में संवर्गीय पदों के सापेक्ष पूर्व में की गई अन्य प्रोन्नतियाँ नियमित प्रोन्नति समझते हुए अप्रभावित रहेंगी। यदि ऐसी कार्यवाही से संवर्ग में प्रोन्नति के प्रक्रम पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को देय आरक्षण रोस्टर अनुसार पूर्ण नहीं हो पाता है तो संवर्ग में उतनी संख्या में अतिरिक्त पदों का सृजन

किया जायेगा जितनी कि देय आरक्षण रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व पूर्ण करने हेतु आवश्यक हों। उक्त अतिरिक्त सृजित पदों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों को ही प्रोन्नति कर भरा जायेगा।

(iii) आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण हेतु कानून न बनाये जाने की दशा में अंतरिम काल के दौरान निःसंवर्गीय पद पर नियुक्त किये गये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों को सेवानिवृत्ति तक उसी निःसंवर्गीय पद पर बने रहने अथवा अपने संवर्ग के निःसंवर्गीय पद पर नियुक्ति से पूर्व धारित पद पर वापस जाने का विकल्प सुलभ रहेगा।

(iv) अंतरिम काल में निःसंवर्गीय पदों पर नियुक्ति तथा विभागीय प्रोन्नति समिति (DPC) द्वारा प्रोन्नति साथ–साथ ही की जायेंगी।

(v) निःसंवर्गीय पदों के सम्बन्ध में की जाने वाली उक्त व्यवस्था से असंगत यदि कोई पूर्व शासनादेश/व्यवस्थायें हों तो ऐसे शासनादेश/व्यवस्थायें असंगतता की सीमा तक अतिक्रमित समझी जायेंगी।

4. अनुरोध है कि कृपया शासन द्वारा लिये गये उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
मुख्य सचिव।

संख्या : 904(1)/XXX(2)/2012–55(47)/2004 टी.सी./ तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल को महामहिम श्री राज्यपाल के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री को मा. मुख्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा को मा. अध्यक्ष, विधान सभा के संज्ञानार्थ।
4. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड।
6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड।
10. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
अपर सचिव